




दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
South East Central Railway



मुख्यालय कार्मिक विभाग, प्रथम तल, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर (छ. ग.) 495004
HEAD QUARTER PERSONNEL DEPARTMENT, 1st FLOOR, GM's OFFICE, BILASPUR (C.G.) 495004
सं. पी-एचक्यू/रुलिंग/पॉलिसी/19/05 दिनांक: 08.05.2023

प्रति,
सर्व संबंधित

स्थापना नियम सं.- 107/2023

विषय:- Transfer on deputation/foreign service – applicability of DOP&T's OM dated 30.11.2012 on Railway Employees who have been promoted to higher post in cadre while on deputation through 70% Selection – regarding.

रेल्वे बोर्ड के पत्र सं. 2019/F(E)II/NBR/1 दिनांक: 26.04.2023, RBE No.64/2023 की प्रति सूचना, मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकाशित की जा रही है। बोर्ड के संदर्भित पत्र को निम्नानुसार स्थापना नियम के तहत प्रकाशित किया गया था:-

क्र.	रेल्वे बोर्ड का पत्रांक एवं दिनांक, RBE No.	स्थापना नियम संख्या
1.	F(E)II/2018/3(4)/1 dt.28.12.2018, RBE No.203/2018	12/2019
2.	2010/F(E)II/I(I)/I dt.28.06.2013, RBE No.59/2013	124/2013

उपरोक्त नियम दफ्तरे की अधिकारिक वेब-साइट <http://www.secr.indianrailways.gov.in> एवं PCPO के share folder (10.206.2.18) पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:-


Web-site-

Home page—Dept./Div of SECR—HQ—Personnel—Rules & Publications

Share Folder-

Personnel—PCPO—Ruling—html—Estt. Rules

संलग्न:- यथोक्त.


(संग्राम सोरेन)
उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (एच.आर.डी)
कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

.....

F.No.2019/F(E)II/NBR/1

RBE No. 64/2023
New Delhi, dt.26.04.2023

The General Managers/Pr. Financial Advisors,
All Indian Railways & Production Units incl. RDSO,
(As per Standard Mailing List)

Sub:- Transfer on deputation/foreign service - applicability of DOP&T's OM dated 30.11.2012 on Railway Employees who have been promoted to higher post in cadre while on deputation through 70% Selection- regarding.

.....

Instructions regarding grant of benefit of proforma promotion under NBR to the Railway officials have been consolidated & circulated to all the Railways vide Board's letter No. F(E)II/2018/3(4)/1 dated 28.12.2018 (RBE No. 203/2018). As per Para (i) of DoP&T's O.M. No. 6/5/2012-Estt. (Pay-II) dated 30.11.2012 enclosed with the above Board's letter, in case of candidates who have passed the Limited Departmental Competitive Exam (LDCE) and whose names have been recommended for promotion, proforma promotions may be allowed from the date their juniors in the cadre in the order of merit in the LDCE have been so promoted.

2. In this regard, few individual cases of Group 'C' employees of organized railway services have been forwarded by the concerned zonal Railways to Board seeking advice as to whether such employees, who are away from the cadre on deputation and approved for promotion to Group 'B' through 70% Selection can be considered for grant of proforma promotion under NBR in terms of DOP&T's above OM dt. 30.11.2012 as is being given to those selected through 30% LDCE.

3. The issue has been examined in consultation with the nodal directorate for promotion of group 'C' to group 'B' Railway employees i.e. Management Services {E(GP)} Directorate, the nodal department i.e. DoP&T, Department of Expenditure and with the approval of Board(CRB&CEO), it is clarified that, since, while considering cases of promotion of group 'C' employees of organized railway services to group 'B', the method followed in 70% by promotion through selection is akin to LDCE, the instructions issued by DOP&T vide para (i) of the O.M. No. 6/5/2012-Estt.(Pay-II) dated 30.11.2012 adopted vide Board's letter No. 2010/F(E)II/I(I)/1 dated 28.06.2013, will also be applicable to such cases of Railway employees who are away from the cadre on deputation and approved for promotion to Group 'B' through 70% Selection, subject to fulfillment of all other conditions stipulated under Next Below Rule (FR-22).

Hindi version is enclosed.

V. Makhijani

(Vikas Makhijani)
Dy. Director, Finance (Estt.)II
Railway Board

F.No. 2019/ F(E)II/NBR/1

New Delhi, dt.26.04.2023

Copy to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.222, Rail Bhavan, New Delhi.

V. Makhijani

For Member (Finance), Railway Board.

F.No. 2019/ F(E)II/NBR/1

New Delhi, dt.26.04.2023

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

.....

आरबीई नं.

फा. सं.2019/एफ(ई)II/एनबीआर/1

नई दिल्ली, दिनांक 26.04.2023

महाप्रबंधक/प्रधान वित्त सलाहकार,
सभी क्षेत्रीय रेलों एवं उत्पादन इकाइयां, अ.अ.मा.सं.
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय: - प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा पर स्थानांतरण - रेल कर्मचारियों पर, जिन्हें प्रतिनियुक्ति के दौरान 70% चयन द्वारा संवर्ग में उच्चतर पद पर पदोन्नत किया गया है, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.11.2012 के कार्यालय ज्ञापन की प्रवृत्तता।

.....

रेल अधिकारियों को एनबीआर के तहत प्रोफार्मा पदोन्नति का लाभ प्रदान करने के संबंध में अनुदेशों को समेकित किया गया है और बोर्ड के दिनांक 28.12.2018 के पत्र संख्या एफ (ई)II/2018/3(4)/1 (आरबीई सं. 203/2018) के अंतर्गत सभी रेलों को परिपत्रित किया गया है। बोर्ड के उक्त पत्र के साथ संलग्न कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.11.2012 के का. ज्ञा. सं. 6/5/2012-स्था.(पे-II) के पैराग्राफ (i) के अनुसार, उन उम्मीदवारों के मामले में जिन्होंने सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) उत्तीर्ण की है और जिनके नाम की पदोन्नति के लिए सिफारिश की गई है, उन्हें सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में योग्यता के क्रम में संवर्ग में उनके जूनियर को इस प्रकार पदोन्नत किए जाने की तारीख से प्रोफार्मा पदोन्नति की अनुमति दी जाए।

2. इस संबंध में, बोर्ड को संबंधित क्षेत्रीय रेलों द्वारा संगठित रेल सेवाओं के समूह 'ग' कर्मचारियों के कुछ अलग-अलग मामले यह सलाह मांगते हुए अग्रेषित किए गए हैं कि क्या ऐसे कर्मचारियों पर, जो प्रतिनियुक्ति पर संवर्ग से दूर हैं और 70% चयन द्वारा समूह 'ख' में पदोन्नति के लिए अनुमोदित हैं, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 30.11.2012 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार एनबीआर के तहत प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान किए जाने के लिए विचार किया जा सकता है, जैसे कि 30% सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा चयनित उम्मीदवार को प्रदान की जा रही है।

3. रेल कर्मचारियों की समूह 'ग' से समूह 'ख' में पदोन्नति के लिए नोडल निदेशालय अर्थात् प्रबंधन सेवाएँ (ई(जीपी)) निदेशालय, नोडल विभाग अर्थात् कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, व्यय विभाग के परामर्श से इस मामले की जांच की गई है और बोर्ड (अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी) के अनुमोदन से यह स्पष्ट किया जाता है कि, चूंकि संगठित रेल सेवाओं के समूह 'ग' कर्मचारियों की समूह 'ख' में पदोन्नति के मामलों पर विचार करते समय, चयन द्वारा 70% पदोन्नति में अपनाई जाने वाली पद्धति सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के समान है, अतः कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 30.11.2012 के का.ज्ञा. सं. 6/5/2012-स्था. (वेतन -II) पैरा (आई) के तहत जारी किए गए अनुदेश, जिन्हें बोर्ड के दिनांक 28.06.2013 के पत्र संख्या 2010/एफ(ई)II/I(1)/1 द्वारा अंगीकार किया गया है, रेल कर्मचारियों के ऐसे मामलों पर भी लागू होंगे, जो प्रतिनियुक्ति पर संवर्ग से दूर हैं और 70% चयन द्वारा समूह 'ख' में पदोन्नति के लिए अनुमोदित हैं, बशर्ते कि एनबीआर (एफआर -22) के तहत निर्धारित अन्य सभी शर्तें पूरी हो रही हैं।

विकास माखीजानी

(विकास माखीजानी)

उपनिदेशक, वित्त (स्था.)II, रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 26.04.2023

फा. सं.2019/एफ(ई)II/एनबीआर/1

भारत के उप नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (रेलें), कमरा नं. 222, रेल भवन, नई दिल्ली को प्रतिलिपि प्रेषित।

विकास माखीजानी

कृते सदस्य (वित्त), रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 26.04.2023

फा. सं.2019/एफ(ई)II/एनबीआर/1